राजस्व लोक अदालत केम्प साजि0 रूपजी राजाबैरी तहसील पचपदरा

2018/015/18

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 70/2018

वादीगण :- 1 समु पत्नि इमाम खां जाति मुसलमान निवासी साजि0 रूपजीराजाबैरी

बनाम

प्रतिवादीगण :- 1. सरपंच ग्राम पचांयत सा0 रूपजी राजाबैरी

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः-28.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत सा0 रूपजी राजाबैरी में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम केरलनाडी मे वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे अपीलाण्ट के खातेदारी हक हिस्सा है। जरिये पति के फौतगी नामान्तरकरण संख्या 17 के दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का अशुद्व नाम सुआ पत्नि इमाम दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार समु पत्नि इमाम है। अतः अपीलाण्ट का सही नाम सुआ पत्नि इमाम करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत पटवारी सा0 रूपजी राजाबैरी /आर.आई साजियाली/ उपतहसीलदार पटौदी व प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, राशकार्ड, परिचय पत्र की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे समु पत्नि इमाम की जगह समु पत्नि इमाम नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम सुआ पत्नि इमाम की जगह समु पत्नि इमाम करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2013
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..ग्रा.प..रूपजी राजाबैरी

Scanned by CamScanner